

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

फॉर्म -14 फार्म सं० 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

राजस्व रिवीजनवाद सं० 10215 वर्ष 2012 धारा

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

धोना मुण्डा वर्गरे वराम् मेसर्स चाचेव्कर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा महेश गोपाल करिवाल

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
17-10-12	<p>प्रस्तुत रिवीजनवाद आवेदक</p> <p>1. धोना मुण्डा 2. रसु मुण्डा दोनों के स्व. जेरेण मुण्डा 3. काले मुण्डा 4. निरसा मुण्डा 5. मुण्डा मुण्डा दोनों के स्व. चसिया मुण्डा 6. मिखाडे मुण्डा के स्व. जेरे मुण्डा 7. धुखु मुण्डा के स्व. मागो मुण्डा 8. दरसाई मुण्डा के स्व. सोमा मुण्डा एवं सोमरा पाल के स्व. जगन पाल सभी सम्पत्तियां - कुंजवा (मुण्डा कुंजवा) थारा मुरडू जिला-खूँटी ने भूमि सुधार उप-समाहर्ष खूँटी द्वारा दिनांक-17-09-12 के पारित आदेश के विरुद्ध दायर विभागाधीन दाखिला बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक-30-10-12 को रखा।</p> <p style="text-align: right;">3 H/x/12</p>	

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की तारीख दिनांक, स्थिति सहित Action taken on order with date
13-03-20	<p>आवेदक द्वारा उपस्थित हो गये हैं विपत्ती के अधिकतम द्वारा उपस्थित हो गये हैं निम्न मांगलायक अ अभिलेख संलग्न है। दिनांक 01-04-20 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">अप. समाहर्ता</p>	3
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित / सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग महाराष्ट्र सरकार राँची के पत्रांक - 332/रा० दिनांक - 24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रिया है The Bihar Tenants Holdings (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collection को है न कि Additional collection अथवा Deputy collection को है।</p> <p>अतः उक्त निम्न / धारा के आदेशों में अग्रिम कारवाई / सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित रखें के आभाषण में हस्ताक्षरित करें।</p> <p style="text-align: right;">1.7.2020 अप. समाहर्ता रूँची।</p>	

आदेश क्रमांक / ति. Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की पूरी कारवाई की दिनांक Action taken on order with date
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थान। अभिलेख अपर रागाहती सूची के अभिलेख से हस्ताक्षरित होकर प्राप्त है।</p> <p>अभिलेख पर असेलर कारवाई हेतु यदि फंजी में उन्हाज करते हुए पक्षकारों को सूचना निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक को रोकें।</p>	